

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 20.09.2022

150 लीटर अप मिश्रित अवैध कच्ची शराब व 02 किलोग्राम नौसादर व 01

किलोग्राम यूरिया के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय एवं अपराध की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी राजघाट संजय कुमार मिश्रा जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20.09.2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी कुँवर गौरव सिंह द्वारा 150 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब व 01 किलोग्राम यूरिया एवं 2 किलोग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त बिरजू हरिजन पुत्र स्व.श्रीधारी निवासी तुर्कमानपुर हरिजन बस्ती थाना राजघाट गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/2022 धारा 272 भादवि0 व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

बिरजू हरिजन पुत्र स्व.श्रीधारी निवासी तुर्कमानपुर हरिजन बस्ती थाना राजघाट गोरखपुर

बरामदगी:- 150 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 1 किलोग्राम नौसादर व 02 किलोग्राम यूरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं.129/2022 धारा 272 भादवि 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1-उपनिरीक्षक कुँवर गौरव सिंह थाना राजघाट गोरखपुर।
- 2-कांस्टेबल देवेन्द्र कुमार थाना राजघाट गोरखपुर।
- 3- कांन्स्टेबल रवि कुमार थाना राजघाट गोरखपुर।
- 4-कांस्टेबल अशोक यादव थाना राजघाट गोरखपुर।
- 5-कांस्टेबल विनोद कुमार थाना राजघाट गोरखपुर।
- 6-महिला कांस्टेबल अनिता यादव थाना राजघाट गोरखपुर।
- 7-महिला कांस्टेबल मनीष आनंद थाना राजघाट गोरखपुर।